



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25042026-272042
CG-MH-E-25042026-272042

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 9, 2026/चैत्र 19, 1948

No. 241]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 2026/CHAITRA 19, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 9 अप्रैल, 2026

सा. का. नि. 261(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के आणंद जिले में पेटलाद-भादरण आमान परिवर्तन परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, प्रांत अधिकारी, बोरसद, तालुका सेवासदन बोरसद, तालुका बोरसद, जिला आणंद को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानुनी प्रेक्টিशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में पेटलाद –भादरण आमान परिवर्तन परियोजना नामक विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

जिला : आणंद

क्र.स.	सर्वे क्रमांक	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मी)
गाँव: बोचासन		तालुका : बोरसद		
1	868	निजी	कृषि	1455
2	871	निजी	कृषि	11
3	869	निजी	कृषि	69
4	870	निजी	कृषि	80
5	867	निजी	कृषि	456
			कुल	2071

[फा. सं. E-297072-19]

राजेश श्रीवास्तव, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 9th April, 2026

G.S.R. 261(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Petlad -Bhadran Gauge Conversion Project in District Anand in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquired such land ;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer, Borasd, 1st Floor, Taluka Sevasadan, Near Swaminarayan Temple, Borsadchowkdi, Borsad , Taluka Borsad , District Anand, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may. After hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: Petlad- Bhadran Gauge Conversion Project in the state of Gujarat.

District : Anand

Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land to be acquired (in Sqm)
Village : Bochasan			Taluka : Borsad	
1	868	Private	Agriculture	1455
2	871	Private	Agriculture	11
3	869	Private	Agriculture	69
4	870	Private	Agriculture	80
5	867	Private	Agriculture	456
			Total	2071

[F. No. E-297072-19]

RAJESH SRIVASTAVA, Chief Project Manager (Con-II)